फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री दिलीप दीक्षित, परिकमा मार्ग, बडा बाजार, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद –प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 25/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये कमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/378 दिनांक 28 मार्च, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधि अनुभाग से संबंधित होने से विधि अनुभाग से पत्रांकः 1292 दिनांक 31.12.2022 से सूचना चाही जाने पर प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांकः 166 दिनांक 12.01.2022 से सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवाई गई । प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग के अभिलेख में जो सूचना उपलब्ध थी जिसके कुल 09 पृष्ट होने से नियमानुसार 02/–रूपये प्रति पृष्ट के हिसाब से कुल राशि 18 रूपये कार्यालय कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को पत्रांकः 65 दिनांक 13.01.2022 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाने पर दिनांक 28.03.2022 को अपीलार्थी स्वंय लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद के कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख पर प्राप्त सूचना 18.00 रूपये जमा कराकर सूचना प्राप्त कर ली है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया।	

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा वांछित सूचना प्राप्त किये जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र एतदद्वारा खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवागयी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)